


फद अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपरखण्ड अधिकारी मुकाम मुसाव
अमृतसिंह बनाम योगेश खन्ना
 किस्म मुकदमा प्रापत्र 212 RTI नं० 98/24 सन्

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	न अ हुक
<p>२५/६/२५</p>	<p>वकील प्राची एवं अयाथिंगल ३५० / अयाथिंगल तं. 1 व द्वारा जकीव पेदा किया गया उपपक्ष अधिवक्ता को पुना गया पत्रावली एवं उठते प्रत्युत इलाकेकी रिपोर्ट का मकी मांति अधपुन किया गया जिलेके आयाल पर हम प्राथना पत्र प्राची स्वीकृत किया जाना उचे न समझते हैं। यदि पक्षकारान में अपनी आउते न बडे को कानूनी चेचीदगीया पेदा नही हो इसके बचने के लिए उपप पक्ष के विकट जारी स्थगन दिनांक 30-4-25 ता फैसला मूल वाद पुष्ट किया जाता है। पत्रावली के लय प्रमा दोक नम्वर ले कमां हो वाद लम मील जाता दारिखत इफ्तह हो।</p>	
	<p>  राज्यपाल मीणा उपखण्ड अधिकारी 341205 मुसाव (भरतपुर) 3/11/25 </p>	